भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-208

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

एनटीए द्वारा निधि का संवितरण नहीं करना

†208. श्री राजा राम सिंह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) छह वर्षों में 449.21 करोड़ रुपये का लाभ होने के बावजूद सीयूईटी और नीट जैसी परीक्षाएं आयोजित करने वाले प्रधानाचार्यों, कर्मचारियों और अन्य सहित विद्यालयों, परीक्षा समन्वयकों को उचित मुआवजा देने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनटीए द्वारा निधि का संवितरण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) एनटीए द्वारा उन स्कूलों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और कर्मचारियों को देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनकी एनटीए द्वारा सेवाएं ली गई थीं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने सूचित किया है कि विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त परीक्षा अधिकारियों को पारिश्रमिक का भुगतान एनटीए द्वारा जारी परीक्षा दिशानिर्देशों में उल्लिखित पारिश्रमिक दरों के अनुसार किया जाता है। व्यापक स्तर पर पेन और पेपर परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था से संबंधित खर्चों की पूर्ति हेतु अग्रिम राशि प्रदान की जाती है। शेष राशि संस्था/परीक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत बिलों/दावों के निपटान के अध्यधीन संवितरित की जाती है। कुछ मामलों में दावों के निपटान में विलंब, बिलों/दावों को देरी से प्रस्तुत करने या सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण होता है। एनटीए द्वारा भुगतान न करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है।
